राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प. 10 (35)नाविवि/3/2010 पार्ट जयपुर, दिनांक :– 30 JAN 2012

परिपत्र

विषय :– भू–उपयोग परिवर्तन की विस्तृत प्रक्रिया व मानदण्ड में शिथिलता के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.04.2010 के बिन्दु सं. 4.5, 5.1 एवं 5.2 तथा समय–समय पर जारी परिपत्रों में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल व सडक की न्यूनतम चौडाई तय की गई है, किन्तु कुछ शहरों से न्यूनतम वांछित क्षेत्रफल का भूखण्ड व वांछित चौडाई की सडक में शिथिलता दिये जाने बाबत स्थानीय नगरीय निकायों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं। विचार–विमर्श पश्चात् ऐसे प्रकरणों में जहां व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्मित हो चुके है अथवा प्रस्तावित है में 750 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल व सड़क की चौडाई में शिथिलता दिये जाने बाबत प्रकरणों पर विचार–विमर्श हेतु निकाय स्तर पर सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर निम्नानुसार एक कमेटी गठित की जाती है जो ऐसे प्रकरणों की जांच कर अपने स्तर पर निर्णय लेगी :–

1.	अध्यक्ष, संबंधित नगर विकास न्यास/ अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण/ आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2.	न्यास/प्राधिकरण का वरिष्ठतम नगर नियोजन अधिकारी	सदस्य
3.	न्यास/प्राधिकरण का विधि सलाहकार /विधि अधिकारी	सदस्य
4.	क्षेत्रीय, वरिष्ठ/उप नगर नियोजक	सदस्य
5.	सचिव, नगर विकास न्यास/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य सचिव

30/1/2012

(एन. एल. मीना)
उप शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, जविप्रा/जोविप्रा/नगर विकास न्यास, समस्त ....।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–तृतीय